

## प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

### अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/114692/BAN/BANDA/346/CFO

दिनांक: 16-04-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SHRI GURU RAM RAI PUBLIC SCHOOL, BANDA** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **5311, 1407, VILL-MAWAI BUJARG, BASANT VIHAR, CHILLA ROAD BANDA, BANDA** तहसील - **BANDA**, प्लॉट एरिया **8417.0 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **1273.98** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SGRRPS	2	0	6.60 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **SHRI GURU RAM RAI PUBLIC SCHOOL, BANDA** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **20-04-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **RAJESH KHANNA** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयीं। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **23-04-2024** से **23-04-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **SHRI GURU RAM RAI PUBLIC SCHOOL, BANDA** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **SHRI GURU RAM RAI PUBLIC SCHOOL, BANDA** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

**Note :** fso बाँदा द्वारा प्रेषित स्थलीय भौतिक निरीक्षण संस्तुति आख्या के आधार पर NBC & up govt GO 18-छ:पु0-8-2022/90(34)/20166टीसी दिनांक 07/01/2022 के अनुसार एवं up fire & Emergency services Act 2022 का अनुपालन करना होगा के निम्न उपबंध के अधीन NOC निर्गत किया जा रहा है 1.अर्ह अभिकर्ता से वर्ष में जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाणपत्र विभाग को प्रेषित करे 2.फायर उपकरणों की वार्षिक AMC /मरम्मत अर्ह एजेन्सी से कराया जाये 3.विधुतसुरक्षा निदेशालय का विधुत सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा 4.भवन के स्वरूप की वैधता सम्बंधित प्राधिकरण की शर्तों के अधीन होगा।यदि सम्बंधित सत्ताप्राधिकारी की शर्तों का उल्लंघन होता है तो यह noc स्वतः निरस्त समझा जायेगा ।

**"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"**

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By  
(MUKESH KUMAR)

निर्गत किये जाने का दिनांक : 23-04-2024

स्थान : BANDA

[313285D63EB5295BDB44EF54B98F2191FCDC9A9ED]

23-04-2024